

कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद
शासनादेश सं0 1999/1-13/13/2004 रा-13 दि0 11.11.2004 द्वारा निर्धारित प्रारूप

अधिकार पत्र (कब्जा परिवर्तन)

राजस्व ग्राम का नाम : मण्डौला
परगना, तहसील व जिला : लोनी / गाजियाबाद / गाजियाबाद
अर्जन निकाय का नाम : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नि0ख0 - 22 वसुन्धरा गाजियाबाद
योजना का नाम : दिल्ली-सहारनपुर मार्ग भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना, गाजियाबाद
धारा-28(1) की विज्ञप्ति का दिनांक : 18.09.98
धारा-32(1) की विज्ञप्ति का दिनांक : 27.10.07
कब्जा परिवर्तन की तिथि : 27-12-12
कब्जा देने वाले का नाम : निरंजन सिंह, तीरथ सिंह (अमीन) कार्यालय-अपर जिलाधिकारी (भूमिअध्याप्ति) संयुक्त संगठन, गाजियाबाद

भूमि का विवरण जिसका कब्जा अर्जन करने वाले विभाग/अर्जन निकाय को हस्तान्तरित किया जा है, जैसी भी स्थिति है। प्रश्नगत ग्राम की 731.845 है0 विज्ञप्ति भूमि का कब्जा उ0प्र0 आवास एवं विकास द को दिये जाने हेतु अमीन श्री निरंजन सिंह एवं तीरथ सिंह को अधिकृत किया जाता है, कि वह उक्त भूमि कब्जा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के सहायक अभियन्ता श्री नवीन कुमार जैन को सौंपें, परन्तु प्रतिबंध कि जिन खसरा नम्बरों का कब्जा परिवर्तन के समय सिविल कोर्ट/मा0 उच्च न्यायालय आदि से उक्त तिथि स्थगन है तो उन खसरा नम्बरों में कब्जा परिवर्तन नहीं माना जायेगा।

का नाम:- मण्डौला, परगना:- लोनी, तहसील व जिला:-गाजियाबाद

सं0	खसरा नं0	अर्जित किये जाने वाले गाटे का क्षेत्रफल (है0 में)	अन्य विवरण
1	67	1.313	
2	68	1.559	
3	69	1.770	
4	71	0.063	
5	72	0.202	
6	141	1.399	
7	142	1.177	
8	144	0.898	

9	146	0.129
10	147	0.268
11	149	1.427
12	150	1.465
13	151	1.162
14	152	1.886
15	153	0.793
16	154	1.337
17	156	1.664
18	157	0.802
19	158	1.012
20	160	0.443
21	161	0.294
22	162	0.952
23	163	1.948
24	164	0.808
25	165	1.023
26	167	0.002
27	168	0.355
28	169	0.251
29	171	0.521
30	172	1.793
31	173	1.936
32	175	0.528
33	176	1.448
34	177	1.426
35	178	0.253
36	180	0.547
37	181	2.078
38	182	0.022
39	183	0.316
40	184	0.164
41	185	0.279
42	187	0.572
43	188	0.152
44	189	0.152
45	190	0.177
46	191	0.126
47	192	0.190
48	193	0.228
49	194	1.781
50	196	2.182
51	197	1.937
52	199	1.006
53	200	1.481
54	201	0.938
55	202	2.030

19-319

17-240

13-711

[Handwritten signatures and marks]

[Handwritten signatures and marks]

2659	0.272	
2660	0.255	
2661	0.510	
2662	0.972	
2664	1.610	
2665	0.503	
2667	0.080	
2668	0.080	
2669	0.095	
2670	0.750	
2671	0.354	
2672	0.181	
2673	0.183	
1548 / 2675	0.099	
2628 / 2682	0.016	
2628 / 2683	0.017	
1523 / 2684	0.545	
2547 / 2685	0.016	
187 / 2686	0.263	
2539 / 2687	0.632	
योग:-	731.845	

खसरा नं०-918/0.114, 925/0.253, 951/0.089 कुल 0.456 क्षेत्रफल पर अपर आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ के निगरानी संख्या-49 धारा-333जेड0ए0 जीत सिंह बनाम सरकार विचाराधीन होने के कारण कब्जे में शामिल नहीं है।

उक्त कब्जा पत्र में ग्राम समांज भूमि एवं खसरा खतौनी में अन्तर के अनुसार पाई गई भूमि का क्षेत्रफल शामिल किया है तथा कब्जा पत्र में कोई सम्पत्ति शामिल नहीं है। इसका निस्तारण अर्जन निकाय स्वयं अपने स्तर से याचिकाओं में विचाराधीन क्षेत्रफल को भी शामिल नहीं किया गया है। यदि कोई त्रुटि रह जाती है तो उसका क से किया जायेगा।

वाले के हस्ताक्षर

तवीन कुमार जैन

म:- सहायक अभियन्ता

म/ श्री दिग्वेजय सिंह

श चन्द्र राजपूत/श्री डी०पी० सिंह

अवर अभियन्ता

(अरुण कुमार)

अभियन्ता नि०ख०-22

वास एवं विकास परिषद

गाजियाबाद

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम:- श्री निरंजन सिंह, श्री तीरथ सिंह

पद का नाम:- अमीन

दिनांक:- 27.12.12

प्रति हस्ताक्षरित

अपर जिलाधिकारी (भूमि अध्याप्ति)
संयुक्त संगठन, गाजियाबाद।